

राजस्थान सरकार
वित्त (कोष एवं लेखा) विभाग

क्रमांक: एफ.5(थ-75)डीटीए/IFMS-SNA-SPARSH-FD/ 610

दिनांक 15/5/2026

विभागाध्यक्ष

(समस्त एस.एन.ए.-स्पर्श विभाग)।

विषय:- SNA-SPARSH पर संचालित केन्द्रीय प्रवर्तित स्कीम के रिजेक्टेड संव्यवहार (RN) के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि SNA-SPARSH पर संचालित केन्द्रीय प्रवर्तित स्कीम के वित्तीय वर्ष 2025-26 के लंबित रिजेक्टेड संव्यवहारों (RN) का भुगतान संबंधित लाभार्थियों/वेण्डर को ई-एडवाइस के माध्यम से किया जाना है।

वित्त विभाग ने केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं से संबंधित RN संव्यवहारों हेतु भारत सरकार को केन्द्रीयांश राशि लौटाये जाने की प्रक्रिया निर्धारित होने तक राजस्थान कोषागार नियमावली-2012 के नियम 144 (a)(4) में अंकित अवधि 60 दिवस में शिथिलन प्रदान करते हुये RN संव्यवहारों का भुगतान e-Advice के माध्यम से बजट मद 8658-00-102-15-00 तथा 8658-00-102-18-00 (ABPS भुगतान हेतु) से किये जाने की स्वीकृति आई.डी. संख्या 602600114 दिनांक 22.04.2026 से प्रदान की है।

अतः क्रियान्वयन एजेन्सियों को संबंधित RN का पूर्व में भुगतान न किया जाना सुनिश्चित करते हुए केन्द्रीय प्रवर्तित स्कीमों के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25, 2025-26 एवं चालू वित्तीय वर्ष से संबंधित RN का भुगतान e-Advice के माध्यम से लाभार्थियों/वेण्डर्स को किये जाने हेतु निर्देशित कराने का श्रम करावें।

भवदीया

15/5/2026

(संध्या शर्मा)

निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक: एफ.5(थ-75)डीटीए/IFMS-SNA-SPARSH- *FD 610*

दिनांक *15/5/2024*

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (मार्गोपाय) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. वरिष्ठ निदेशक (आई.टी.), एन.आई.सी. वित्त भवन, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में सिस्टम में आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
5. श्री अभय गुप्ता, संयुक्त निदेशक (आई.टी.), एन.आई.सी. वित्त भवन, जयपुर।
6. श्री रणजीत रावल, Oracle टीम।
7. श्री अनिल शर्मा, E&Y टीम।


अतिरिक्त निदेशक एवं पदेन
परियोजना निदेशक (IFMS)